पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जून, 2016 ई0 (ज्येष्ठ 14, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–23

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	289–312	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	521–524	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

06 मई, 2016 ई0

संख्या 468 / XXXI(4) / 16–03(विविध) / 2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के लेखा संवर्ग के अन्तर्गत श्री सुनील कौशिक, समीक्षा अधिकारी (लेखा) को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी (लेखा) वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 5400 / – के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त अधिकारी को अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. श्री सुनील कौशिक को पदोन्नति के उपरान्त उनकी तैनाती के स्थान सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–5 में तैनात किया जाता है।

4. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0 प्र0 सचिवालय के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

डा0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1

तैनाती / विज्ञप्ति

11 मई, 2016 ई0

संख्या 1025 / XVI-1 / 16 / 1(5) / 2015–शासन के विज्ञप्ति संख्या–174 / XVI-1 / 16 / 1(5) / 2015, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के द्वारा श्री सुरेश राम को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत औद्यानिक प्रशिक्षण शाखा के रसायन विज्ञान अनुभाग में श्रेणी–1 (उप निदेशक स्तर) वेतनमान ₹ 15600–39100+ग्रेड पे ₹ 6600 / – में प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री सुरेश राम, ऊतक पर्ण विश्लेषक श्रेणी–1 को पौधशाला विशेषज्ञ, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे तथा सम्बन्धित कार्मिक तद्नुसार तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति सूचना प्रस्तुत कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक उद्यान एवं शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

11 मई, 2016 ई0

संख्या 813/XXXI(1)/2016–एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1 के कार्यालय आदेश संख्या–UO/35/XXXI(1)/2008, दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 को संशोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदकों से प्रार्थना पत्र संकलित करने, सूचना शुल्क जमा करने एवं प्राप्त आवेदनों को सम्बन्धित विभागों के लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रवेश–पत्र कार्यालय में संचालित सिंगल विन्डो व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त कार्य 'सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग–04 को आवंटित करते हुए अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग–04 को केन्द्रीयकृत सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

2. आगुन्तकों की सुविधा एवं सचिवालय परिसर की सुरक्षा के दृष्टिगत सिंगल विन्डों व्यवस्था पूर्व की भाँति प्रवेश–पत्र कार्यालय भवन में ही सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग–04 के अधीन संचालित होगा।

3. उत्तराखण्ड सचिवालय के विभागों/अनुभागों के मध्य कार्य आवंटन विषयक सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1093/XXXI(1)/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

डा0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

13 मई, 2016 ई0

संख्या 863/XXXI(1)/2016–पदो0–30/15–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100 ग्रेड वेतन ₹ 5400/– के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुभाग में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	कार्मिकों के नाम	तैनाती का विभाग/अनुभाग
1.	श्री विनय अग्रवाल	गृह अनुभाग–8
2.	श्री रणवीर सिंह रावत	उद्यान एवं रेशम अनुभाग–01

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस/एस) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 22122/2013 सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0)/2015 शैलेन्द्र कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 271 (एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या 272 (एस0बी0)/2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 273 (एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या–31/2005 में पारित निर्णय दिनांक 08–05–2015, के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–23254/2015 हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08–09–2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या–5828 (एस/एस)/2015 डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अन्य योजित रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालयों के पारित अंतिम निर्णयों के अधीन है।

उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के विभाग/अनुभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

डा0 रणवीर सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

02 अप्रैल, 2016 ई0

संख्या 648/XX–3–2016–13(14)2016–श्री राज्यपाल महोदय, दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946) की धारा–6 के अनुसरण में श्री हरक सिंह रावत द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल महोदय को प्रेषित शिकायती पत्र में मा0 मुख्यमंत्री जी की वीडियों रिकोर्डिंग उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी एक वीडियों रिकोर्डिंग में "Horse Trading" करते पाये गये हैं तथा जिसमें उनके द्वारा असंतुष्ट विधायकों को धन एवं पद का प्रलोभन दिया गया है। मा0 मुख्यमंत्री द्वारा असंतुष्ट विधायकों तथा उनके पारिवारिक सदस्यों को धमकी भी दी गयी है।

2–यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री द्वारा मा0 पूर्व मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाये गये हैं, उसके सम्बन्ध में प्रदेश के किसी भी जनपद में कोई भी मुकदमा पंजीकृत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

3–अतः मा0 हरक सिंह रावत द्वारा मा0 पूर्व मुख्यमंत्री, श्री हरीश रावत पर लगाये गये आरोपों के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुये या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 648/XX(3)-2016-13(14)2016,** dated April 02, 2016 for general information.

NOTIFICATION

April 02, 2016

No. 648/XX(3)-2016-13(14)2016--In pursuance of the provisions of Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to accord consent to the extention of powers and jurisdiction of the members the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of the complaint of Horse Trading and Threatening to Mr. Harak Singh Rawat, Former Cabinet Minister, Uttarakhand Government allegedly by Shri Harish Rawat, Former Chief Minister, Uttarakhand.

2. No. F.I.R. have been registered in this matter any police Station in Uttarakhand. The above mentioned offence and any other offence of offences committed in the course of the same transaction or/and arising out of the same facts of the said case.

By Order and in the Name of the Governor of Uttarakhand,

Dr. UMAKANT PANWAR,

Principal Secretary, Home.

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification **No. 882/XX(3)-2016-13(14)2016,** dated May 05, 2016 for general information.

HOME SECTION-3

Corrigendum

May 05, 2016

No. 882/XX(3)-2016-13(14)2016--In pursuance of the provisions of Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to accord consent to the extention of powers and jurisdiction of the members the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of the complaint by Shri Harak Singh Rawat, Former Cabinet Minister, Uttarakhand Government sent to the Hon'ble Governor, State of Uttarakhand along with video recording related to "Horse Trading" and threatening to dissident MLAs and their family members besided offering office and money to them, allegedly by Shri Harish Rawat, the then Chief Minister, Uttarakhand Government and any other offence of offences committed in the course of same transaction or/and arising out of the same facts.

By Order and in the Name of the Governor of Uttarakhand,

Dr. UMAKANT PANWAR,
Principal Secretary, Home.

May *15, 2016*

No. 910/XX(3)-2016-13(14)2016--In pursuance of the provisions of Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Central Act) the State Government hereby withdraws with immediate effect the earlier consent accorded as per Notification No. 648/XX(3)-2016-13-(14)2016, dated 02 April, 2016 and corrigendum Notification No. 882/XX(3)-2016-13(14)2016 dated May 05, 2016 for the extension of powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment Act to the whole of State of Uttarakhand for the investigation of the complaint by Shri Harak Singh Rawat, Former Cabinet Minister, Uttarakhand Government.

The State Government considers it necessary in public interest to order an inquiry/investigation of this case by a Special Investigation Team (SIT) of the State Government. Hence this notification.

By Order.

Dr. UMAKANT PANWAR,
Principal Secretary, Home.

गृह अनुभाग–4

कार्यालय–ज्ञाप

शुद्धि–पत्र

18 मई, 2016 ई0

संख्या 484/बीस–4/2016–1(60)/2013–शासन की अधिसूचना संख्या–193/बीस–4/2016–1(60)/2013, दिनांक 26–02–2016 के द्वारा उत्तराखण्ड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गयी है। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–201/बीस–4/2016–1(60)/2013, दिनांक 29–02–2016 के द्वारा उक्त नियमावली के प्रख्यापन की सूचना निर्गत की गयी है। उक्त अधिसूचना संख्या 193/बीस–4/2016–1(60)/2013, दिनांक 26–02–2016 में लिपिकीय त्रुटिवश नियमावली का नाम उत्तराखण्ड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 टंकित हो गया है।

2–अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 26–02–2016 में उल्लिखित उत्तराखण्ड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करते हुये उत्तराखण्ड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2016 किया जाता है।

कृपया उक्त नियमावली को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अधिसूचना

प्रकीर्ण

25 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 193/बीस–4/2016–1(60)/2013–श्री राज्यपाल महोदय, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की, सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2016

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. 1 इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2016" है।

2 यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा है। जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं,

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ख) **"भारत का नागरिक"** से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,

(ग) **"आयोग"** से लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(घ) **"संविधान"** से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(ड़) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(च) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं,

(छ) **"महानिरीक्षक"** से महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ज) **"सेवा के सदस्य"** से उप कारापाल संवर्ग के पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(झ) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा अभिप्रेत है, और

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये ।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, **परिशिष्ट 'क'** में दी गयी है, परन्तु यह कि –

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में उप कारापाल के पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

(एक) 75% प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) 25% मौलिक रूप से नियुक्त प्रधान बंदीरक्षक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो और उप कारापाल पद पर पदोन्नति के समय बंदीरक्षक के पद पर भर्ती हेतु लागू न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित करता हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में उप कारापाल के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप में निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन और केनिया, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा, स्वीकृत पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में प्रतिधारण उसके भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधीन होगा ।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र या तो वह प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

शैक्षणिक अर्हता

8. उप कारापाल के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।

(दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।

अधिमानी अर्हता

9. ऐसे अभ्यर्थी को जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा ।

सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण

10. उप कारापाल के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी का नाम उक्त पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

आयु

11. उप कारापाल के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाये, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,

परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

12. उप कारापाल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान करेगा ।

टिप्पणी: संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक स्तर

13. उप कारापाल के पद पर नियुक्ति के लिए कोई ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या कोई ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु, राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका समाधान हो जायें कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

14. (1) सेवा में किसी पद पर किसी अभ्यर्थी को तब तक सीधे नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूलनियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो, भाग दो से चार के अध्याय–तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता के प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(2) उप कारापाल के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं होनी चाहिये –

(एक) **पुरूष** पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य/पिछडी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिय ऊँचाई 165 से0मी0 और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियो के लिये ऊचाई 160 से0मी0 एव अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊचाई 157.5 सेमी होनी चाहिये। पर्वतीय क्षेत्र को छोडकर सामान्य/पिछडी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये सीने की माप, छाती बिना फुलाये 78.8 सेमी तथा फुलाने पर 83.8 सेमी, पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76.3 सेमी तथा फुलाने पर 81.3 सेमी होनी चाहिये। दृष्टि–6/6

(दो) **महिला**– पर्वतीय क्षेत्र को छोडकर सामान्य/पिछडी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 152 से0मी0 और पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊचाई 147 सेमी होनी चाहिये। सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम अनिवार्य है। दृष्टि–6/6

टिप्पणी: अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनियम वही होंगें जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किये जाये।

भाग–पाँच–सीधी भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्ग की श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली, रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा ।

उप कारापाल के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये लिखित परीक्षा के परिणाम पर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करेगा जितनी इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में दिया गया अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के साथ जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग, अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

उप–जेलर के पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये **ज्येष्ठता** के आधार पर समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 2003 के अनुसार की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेगें कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे, यथास्थिति नियम 15 16 तथा 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और एक संयुक्त चयन सूची नियम 18 के अनुसार तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसी यथा स्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया गया हो। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो भी अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाये।

परन्तु आपवादिक कारणों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष की सीमा से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम–3 के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गणना करने की अनुज्ञा दे सकता है।

स्थायीकरण 21. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि--

(क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जो कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

(2) जहां उत्तराखण्ड राज्य के सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

ज्येष्ठता 22. मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय--समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग--सात--वेतन आदि

वेतनमान 23. सेवा मे किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय--समय पर अवधारित किया जाये। इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान संलग्न 'क' में दिया गया है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 24. वित्तीय हस्तपुस्तिका में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान--वेतनमान के रूप में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसकी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण जहां विहित हो, प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन--वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन--वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यालय के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू होने वाले सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–विविध

पक्ष समर्थन

25. इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामन्यतया लागू होने वाले नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27. जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अंनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं की उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यदि कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो तो उस नियम की अपेक्षाओं को आयोग से पहले परामर्श किये बिना अभिमुक्त या शिथिल नहीं किया जायेगा ।

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट — 'क'
(देखें नियम 4)

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
उप कारापाल	44	00	44

परिशिष्ट —'ख'

(देखें नियम 22)

पद का नाम	वेतनमान
उप कारापाल	रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन– रू0 4200

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Article 309 of **"the Constitution of India"** the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification **No. 193/XX-4/2016-1(60)/2013**, dated February 25, 2016 for general information.

NOTIFICATION

February 25, 2016

No. 193/XX-4/2016-1(60)/2013--In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing Rules and order on the subject, the Governor is pleased to make the following Rules regulating recruitment and the condition of service of persons appointed to the Uttarakhand Jail Executive Subordinate (Non-Gazetted) service.

THE UTTARAKHAND JAIL EXECUTIVE SUBORDINATE (NON – GAZETTED) SERVICES RULE, 2016

PART I
GENERAL

Short title and commencement 1 (1) These Rules may be called the Uttarakhand Jail Executive Subordinate (Non – Gazetted) Service Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

Status of Service 2 The Uttarakhand Jail Executive Subordinate (Non – Gazetted) Services comprises Group 'C' posts.

Definitions 3 In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context–

(a) "Appointing authority" means the Inspector General of Prisons, Uttarakhand;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) "Commission" means the Public Service Commission, Uttarakhand.

(d) "Constitution" means the Constitution of India;

(e) "Government" means the State Government of Uttarakhand;

(f) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(g) "Inspector General" means the Inspector General of Prisons, Uttarakhand;

(h) "Member of Service" means a person appointed in substantive capacity under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(i) "Service" means the Uttarakhand Jail Executive Subordinate (Non – Gazetted) Services; and

(j) "Year of Recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II
CADRE

Cadre of Service 4 1- The strength of the service and of each category of post shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

2- The strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) shall be as given in Appendix 'A':

Provided that –

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without entitling any person to payment or compensation, or

(ii) The Governor may create from time to time such additional permanent or temporary posts as he may consider proper

PART III
RECRUITMENT

Source of Recruitment 5 1- Recruitment for the post of Deputy Jailor shall be made from the following sources-

(i) Seventy five percent by direct recruitment through Public Service Commission.

(ii) Twenty Five percent by promotion through Commission on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from Chief Head Warders who have completed in five years of service as Chief Head Warders and meet the qualification criterion as prescribed at the time of recruitment as Jail Warder for the post of Deputy Jailor.

Note: for the purpose of promotion to the post of Deputy Jailor a combined seniority list shall be prepared by arranging the names in the following order:

(i) Chief Head Warder/Reserve Head Warder shall be placed in order of seniority.

Reservation 6 Reservations for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward categories to the State of the Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV
QUALIFICATIONS

Nationality 7 A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before 1st January,1962, with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a

period of more than one year and the retention of such a candidate in Service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note: a candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification	8	A candidate for the direct recruitment to the post of Deputy Jailor should possess the following qualifications: **(i)** Bachelor's degree or equivalent any qualification from a university established by law in India. **(ii)** Working of knowledge of Hindi in Devnagri script.
Preferential Qualification	9	A candidate who has- **(i)** Served in Territorial Army for a minimum period of two years, or **(ii)** Obtained a 'B' or 'C' certificate of the National Cadet Corps Other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment,
Registration in Employment Office	10	For direct recruitment to the posts of Deputy Jailor it is essential that the candidate's name should be registered in any employment office situated in the State of Uttarakhand until the closing date of the application in the advertisement for the above post.
Age	11	A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on July 1 for the calender year in which the posts are advertised. Provided that the upper age-limit in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.
Character	12	the character of the candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Services. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point. Note: Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
Marital Status	13	A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for a appointment to a post in the Service: Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
Physical fitness	14	**(1)** No candidate shall be directly appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce to a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 and contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Parts II to IV;

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

(2) A candidate for direct recruitment to the Service must possess the following minimum physical qualification:

(i) For male candidates belonging to General/OBC and Scheduled Castes height not less than 165 cms and for male candidates belonging to Hilly Regions height not less than 160 cms and for male candidates belonging to Scheduled Tribes height not less than 157.5 cms. For male candidates belonging to General/OBC and Scheduled casts chest measurements not less than 78.8 cms (unexpanded) and 83.8 cms (expanded) and for male candidates belonging to Hilly Regions and Scheduled Tribes not less 76.3 cms (unexpanded) and 81.3 cms (expanded). Vision 6/6.

(ii) For female candidates belonging to General/OBC and Scheduled castes height not less than 152cms and for female candidates belonging to Hilly Regions and Scheduled Tribes height not less than 147cms. For all female candidates weight not less than 45 Kilograms. Vision 6/6.

Note: Regulations for Medical Examination shall be same as prescribed by the Government from time to time.

PART V

PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

Determination of vacancies 15 The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 6.

Procedure for direct recruitment to the posts of Deputy Jailor:- 16 (1) Applications for permission to appear in the competitive examination shall be called by the Commission in the prescribed form, through advertisement.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall having regard to the need of securing due representation of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others under Rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

Procedure for recruitment by promotion to the post of Deputy Jailor	17	recruitment by promotion to the post of Deputy Jailor shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the provisions of the Uttarakhand Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 as amended from time to time.
Combined selection list	18	If in any year of recruitment appointment are made both, by direct recruitment and by promotion, a combined selection list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant list in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name is in the list being of the person Appointed by promotion.

PART VI
APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment	19	(1)	Referring to sub-rule 2. the appointing authority shall make appointments by taking the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under Rules 15, 16 or 17 as the case may be.
		(2)	If in a year appointment has to be made both by direct and by promotion the appointments cannot be finalized until the selection is complete from both the sources and a combined selection lists have been prepared under Rule 18.
		(3)	If for a selection more than one order have been issued than a joint order shall be issued containing the names in the order of seniority in accordance to the recruitment criterion or in accordance to the seniority from the grade from which they are being promoted. If appointment has to be made both by direct recruitment and by promotion than the list shall be prepared by taking the names of candidates as under Rule 17.
Probation	20	(1)	A person on appointment to a post in the service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.
		(2)	The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted: Provided that save for exceptional reasons, the period of probation shall not extend for more than one year and in no circumstances beyond the limit of two years.
		(3)	If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
		(4)	A probationer who is reverted or whose services are dispensed with, under sub-rule 3. Shall not be entitled to any compensation.
		(5)	The appointing authority may allow continuous Service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
Confirmation	21	(1)	A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or under subject to the

provision of sub-rule (2) at the end of extended period of probation if-

(a) He has successfully undergone the prescribed training,

(b) His work and conduct are reported to be satisfactory,

(c) His integrity is certified, and

(d) The appointment authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Wherein confirmation is not must as per the Confirmation Rules of Uttarakhand, 2002 therein under sub-rule 3 of Rule 5 if the probationer successfully completes the period of probation, it will be deemed as order of confirmation.

Seniority 22 Seniority of fundamentally appointed people may be determined by the applicable Uttarakhand Government Servant Seniority Rule, 2002 from time to time.

PART VII
PAY ETC.

Scale of Pay 23 The scales of pay admissible to person of service shall be as such as may be determined by the Government from time to time. The pay scale at the time of commencement of this rule is given in Appendix 'B'.

Pay during probation 24 Notwithstanding any probation in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory Service, he has passed Departmental Examination and undergone training, where prescribed and second increment after two years of service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

The pay during probation of person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government Servants.

PART VIII
OTHER PROVISIONS

Canvassing 25 No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters 26 In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

Relaxation from the conditions of Service	27	Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of Service of person appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner: Provided that if a rule was framed in consultation with the Commission the requirements of that rule shall not be dispensed with or relaxed without the Commission being consulted before hand.
Addition of New Regulation	28	This regulation will have no impact on reservation or other relaxations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward categories in accordance with the orders of the Government from time to time.

APPENDIX --- 'A'
(See Rule 4)

Name of Post	Number of Posts		
	Permanent	Temporary	Total
Deputy Jailor	44	00	44

APPENDIX --- 'B'
(See Rule 22)

Sl. No.	Name of the Post	Scale of pay
1	Deputy Jailor	Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4200

By Order,

Dr. UMAKANT PANWAR,
Principal Secretary.

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

28 अप्रैल, 2016 ई0

संख्या 712 / II–2016–01(42)(430) / 2012–कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को वेतनमान ₹ 15,600–39,100 सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 7600 / – में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री दिनेश चन्द्र टम्टा
2. श्री लीला राम आर्य

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 385 / 2010 गोपाल सिंह मेहरा एवं अन्य बनाम राज्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

4. उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 46 / एस0बी0 / 2016 दिनेश चन्द्र टम्टा बनाम राज्य एवं रिट याचिका संख्या 47 / एस0बी0 / 2016 लीला राम आर्य बनाम राज्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव।

सिंचाई विभाग

विज्ञप्ति / पदोन्नति

28 अप्रैल, 2016 ई0

संख्या 713 / II–2016–01(440) / 2012–कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को वेतनमान ₹ 15,600–39,100 सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 6600 / – में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

सर्वश्री

1. जितेन्द्र कुमार गोयल
2. भाष्कर चन्द औली
3. पुष्कर सिंह बिष्ट
4. केवला नन्द पुनेठा
5. बलवन्त सिंह कोरंगा
6. धीरेन्द्र पुंडीर
7. उमेश चन्द पाटनी
8. कुन्दन सिंह बंगारी
9. गोपाल सिंह नेगी
10. जनार्दन प्रसाद नौटियाल

11.	राजेन्द्र सिंह	
12.	हरीश चन्द्र थपलियाल	
13.	मान सिंह बिष्ट	
14.	गिरीश चन्द्र जोशी	
15.	राकेश चन्द्र उनियाल	
16.	सुनील चन्द्र पन्त	
17.	भूपाल सिंह बिष्ट	श्री रमेश जोशी, अधिशासी अभियन्ता के दिनांक 30–04–2016 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्ति के सापेक्ष।
18.	कुंवर सिंह रावत	श्री केवला नन्द पुनेठा, की प्रोन्नति के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता के पद से दिनांक 30–04–2016 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्ति के सापेक्ष।
19.	शिव राज सिंह बोरा	श्री कुन्दन सिंह बंगारी, की प्रोन्नति के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता के पद से दिनांक 30–04–2016 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्ति के सापेक्ष।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3. उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 385/2010 श्री गोपाल सिंह मेहरा एवं अन्य बनाम राज्य में होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

उक्त पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

29 अप्रैल, 2016 ई0

संख्या 722/II–2016–01(141)/2015–कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित कार्मिकों को मुख्य अभियन्ता स्तर–2, वेतनमान ₹ 37,400–67,000 सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 8900/– के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	श्री ललित कुमार शर्मा	श्री सुभाष मित्रा, मुख्य अभियन्ता स्तर–2, के दिनांक 30–04–2016 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप प्राप्त रिक्ति।
2.	श्री देवेन्द्र कुमार पचौरी	श्री डी0पी0 जुगरान, मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के दिनांक 30–04–2016 को सेवानिवृत्ति एवं तद्क्रम में श्री राजेन्द्र चालिसगांवकर की मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त रिक्ति।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 101/एस0बी0/2016 श्री अमरनाथ सिंह बिष्ट बनाम राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या 95/एस0बी0/2016 जीवन चन्द्र जोशी बनाम राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

06 मई, 2016 ई0

संख्या 634/II–2016–01(34)/2012–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 01/52/ई–1/डी0पी0सी0/ 2015–16, दिनांक 06–04–2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में श्री चन्द्र प्रकाश खण्डूजा, डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) (वेतनमान ₹ 15,600–39,100 एवं सादृश्य ग्रेड पे ₹ 5400/–) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिक को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

4. उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 22638–22639/2012 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम गोविन्द बल्लभ पाण्डे व अन्य एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 32726/13 यूनाइटेड ऑफ इण्डिया बनाम बसन्त बल्लभ जोशी व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव।

लोक निर्माण अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

10 मई, 2016 ई0

संख्या 128/III(1)/16–15(अधि0)/05, टी0सी0–1–विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 5355/2012 से 5359/2012 भारत सरकार बनाम दीपक कुमार यादव एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17–04–2013 के अनुपालन में भारत सरकार लोक शिकायत, कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा अपने पत्र संख्या 27/01/06/एस0आर0एस0, दिनांक 14–05–2013 के द्वारा श्री नरेन्द्र पाल सिंह एवं श्री अशोक कुमार, सहायक अभियन्ताओं को उत्तराखण्ड राज्य अन्तिम रूप से आवंटित किया गया।

2. राज्य गठन के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2029/III(1)/09–83(अधि0)/08, दिनांक 22–10–2009 के द्वारा सहायक अभियन्ता संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गई। अन्तिम आवंटन के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता संवर्ग की निर्गत उप अन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या 1207/III(1)/14–101(अधि0)/10, दिनांक 03–06–2014 में श्री नरेन्द्र पाल सिंह की ज्येष्ठता क्रमांक 61ए एवं श्री अशोक कुमार की ज्येष्ठता क्रमांक 61बी पर निर्धारित है, जबकि कार्यालय ज्ञाप संख्या 1246/III(1)/09–83(अधि0)/08, दिनांक 17–07–2009 के द्वारा श्री दयानन्द की ज्येष्ठता क्रमांक 62 पर

निर्धारित की गई एवं शासनादेश संख्या 2446/III(1)/09–100(अधि0)/09, दिनांक 11–12–2009 के द्वारा श्री दयानन्द को अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत किया गया। उपरोक्त दोनों अभियन्ता संशोधित ज्येष्ठता सूची के अनुसार श्री दयानन्द से वरिष्ठ हैं।

3. अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 04 के मूल नियम–22(बी)(2) के अन्तर्गत उपरोक्त दोनों अभियन्ताओं को उनके कनिष्ठ श्री दयानन्द की अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 11–12–2009 से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर नोशनल पदोन्नति दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप यह लाभ केवल वेतन निर्धारण हेतु प्रदान किया जा रहा है, जिस हेतु कोई ऐरियर इन कार्मिकों को देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

डी0 एस गर्ब्याल,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/278–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जून, 2016 ई0 (ज्येष्ठ 14, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

29 अप्रैल, 2016 ई0

पत्रांक 482/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2016–17/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16 जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री सियाराम ट्रेडिंग कम्पनी, मोती बाजार, हरिद्वार, टिन नं0–05002229376	प्ररुप–XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 7591220	खोने के कारण

पीयूष कुमार,

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

07 मई, 2016 ई0

पत्रांक 891/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06Z-3668/2016–वाहन संख्या UK06Z-3668, मॉडल 2013, चेसिस संख्या MBJ11JV4007392060 तथा इंजन नं0 2KDU238698, कार्यालय में मैसर्स गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि0, सी0–50 एल्डीको सिडकुल इंडस्ट्रीयल पार्क सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है, वाहन स्वामी ने दिनांक 04–05–2016 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त हो गया है जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। वाहन का कर एक बारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06Z-3668 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MBJ11JV4007392060 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग, चमोली

आदेश

04 मई, 2016 ई0

पत्रांक संख्या 300/प्रवर्तन/लाइसेन्स–निलम्बन/16–श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी ग्राम ग्वाई पोस्ट सकन्ड, जिला चमोली को थानाध्यक्ष गोपेश्वर द्वारा दिनांक 05–04–2016 को वाहन संख्या UK11-1682, बोलेरो का संचालन खतरनाक तरीके से करने के अभियोग में चालान करते हुए चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1120130005150 जो इस कार्यालय द्वारा MCWG (NT) LMV (NT) LMV-GV(TR) LMV-CAB (TR) & HILL हेतु जारी किया गया है। जिसकी व्यवसायिक वैधता दिनांक 23–07–2018 तक है के विरूद्ध निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक संख्या 272/डी0एल0/निरस्त/16, दिनांक 22–04–2016 के माध्यम से सम्बन्धित वाहन चालक को पंजीकृत डाक से नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में वाहन चालक द्वारा दिनांक 03–05–2016 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, प्र0 सहायक, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग/कर्णप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके लाइसेन्स संख्या UK-1120130005150 को दिनांक 04–05–2016 से दिनांक 03–08–2016 तक तीन माह के लिए निलंबित करता हूँ।

पंकज श्रीवास्तव,

प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

रूद्रप्रयाग/कर्णप्रयाग, चमोली।

कार्यालय–अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

05 मई, 2016 ई0

पत्रांक वाकअधि0/व्यप0/कार्यभार/70(15)/180/2016–प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र सं0 2025/XIII-b-1/Admin.A/2016, दिनांक 02–05–2016 के अनुपालन में अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून के पद का कार्यभार आज दिनांक 05–05–2016 को अपराह्न में छोड़ा गया।

रमेश चन्द्र खुल्बे

एच0जे0एस0

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह0 (अस्पष्ट)

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन,

वित्त विभाग, राज्य सचिवालय,

देहरादून।

कार्यभार प्रमाण–पत्र

06 मई, 2016 ई0

पत्रांक वाकअधि0/व्य0प0/कार्यभार/183/2016–प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र सं0 2107/UHC/XIII-f-7/Admin.A/2004 दिनांक 05–05–2016 तथा उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 393/2016/07(100)/xxvii(8)/08, दिनांक 04–05–2016 के अनुपालन में 'अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून' के पद का कार्यभार आज दिनांक 06–05–2016 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

आर0 डी0 पालीवाल,

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह0 (अस्पष्ट)

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन,

वित्त अनुभाग–8,

राज्य सचिवालय,

देहरादून।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

05/06 मई, 2016 ई0

पत्रांक 183 (VII)/I–03–2016–प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की अधिसूचना संख्या–103/यू0एच0सी0/एडमिन. ए/2016, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में मेरे द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार आज दिनांक 05–05–2016 को पूर्वाह्न 10:00 बजे ग्रहण किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह0 (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

अकरम अली,

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
पिथौरागढ़।

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

05/06 मई, 2016 ई0

पत्रांक 184 (VII)/I–04–2016–प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की अधिसूचना संख्या–102/यू0एच0सी0/एडमिन. ए/2016, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में मेरे द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिथौरागढ़ का कार्यभार आज दिनांक 05–05–2016 को पूर्वाह्न 10:00 बजे ग्रहण किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह0 (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

नेहा कय्यूम,

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
पिथौरागढ़।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/278–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।